न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2020/116

–: प्रार्थीगण :–

1. सुरेन्द्र पुत्र अर्जुनराम
2. नैनीदेवी पत्नि अर्जुनराम
3. कंचन पुत्री अर्जुनराम
4. गुड्डी पुत्री अर्जुनराम
5. सन्तोष पुत्री अर्जुनराम
6. हुक्माराम पुत्र हेमाराम

जातियान मेघवाल निवासी ढंढोरा
तहसील भोपालगढ़

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. रामनिवास पुत्र छोटाराम
2. रामकिशोर पुत्र लादुराम
3. सुनिल पुत्र लादुराम आयु 13 वर्ष
4. मंजू पुत्री लादुराम आयु 11 वर्ष
   दोनों नाबालिग जरिये वली कुदरती माता कंवराई पत्नि लादूराम
5. कंवराई पत्नि लादूराम
   जातियान मेघवाल निवासी ढंढोरा
6. अनोपराम पुत्र भागीरथ
7. कैलाश पुत्र भागीरथ फौत के का.मु.
   7/1. भाटुड़ी पत्नि भागीरथ
8. प्रबंधक देना बैंक शाखा आसोप
9. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 02।
3. अप्रार्थी संख्या 01, 03 से 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
4. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–** 6.12.21

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसमें बताया कि ग्राम ढंढोरा में प्रार्थी संख्या 01 से 05 की खातेदारी कब्जासुद कृषि भूमि खसरा नं. 472/1 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 475 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा भूमि आई हुई है। प्रार्थी संख्या 06 की खातेदारी कब्जासुद कृषि भूमि खसरा नं. 473/2 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात बने हुए है, ट्यूबैल खुदा हुआ है एवं विद्युत संबंध लिया हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 472/1, खसरा नं. 475, खसरा नं. 473/2 पर आने जाने हेतु पीढीयों से ग्राम ढंढोरा से गजसिंहपुरा जाने कटाणी रास्ता से होकर कटाणी रास्ता के दक्षिण दिशा में स्थित खेत खसरा नं. 470 की पश्चिमी सीमा में से होता हुआ रास्ता आगे खसरा नं. 471 की पश्चिमी सीमा में से [illegible] संख्या 01 से 05 के खेत खसरा नं. 472/1 में से होता हुआ खसरा नं 472/1, खस[illegible] 475 [illegible] पश्चिमी सीमा में से होता हुआ कदीमी रास्ता प्रार्थी संख्या 06 के खेत [illegible] नं. 473/2 तक च[illegible]या है। जिसे कदीमी रास्ता की चौड़ाई करीब 15 फुट है। उक्त कदीमी [illegible] वादग्रस्त रास्ता के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल [illegible] के मध्य दर्शाया गया है। वादग्रस्त रास्ता के पड़ोस भी नजरी नक्शे में अंकित कर रखे है। यह कि मूल खसरा नं. 472 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:07:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

बंटवाडा किया हुआ है। प्रार्थी संख्या 01 से 05 के बंट में खसरा नं. 472/1 व 475 आया हुआ है। जो नजरी नक्शा में दर्शाया हुआ है लेकिन राजस्व नक्शे में तरमीम किया हुआ नहीं है। मूल खसरा नं. 473 का भी बंटवाड़ा किया हुआ है। प्रार्थी संख्या 06 के बंट में खसरा नं. 473/2 आया हुआ है जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है लेकिन राजस्व नक्शे में तरमीम किया हुआ नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवारजनों रहवासीय मकानात् बने हुए है, टयूबैल खुदे हुए है, टयूबैल से पानी निकालकर फसलों की सिंचाई करते आये है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। एकमात्र रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही है जो पीढियों से विद्यमान रहा है। वादग्रस्त रास्ता का प्रार्थीगण अपने अपने खेतों में आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग में ले रहे है। वादग्रस्त रास्ता से प्रार्थीगण ट्रेक्टर ट्रोली, बेल छकड़ा, मवेशियां वगैरह लाते ले जाते रहे है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। वादग्रस्त रास्ता मार्क ए से बी राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावे। मार्क बी से सी रास्ता प्रार्थी संख्या 01 से 05 के खेत खसरा नं. 472/1 व खसरा नं. 475 में चल रहा है जिसमें प्रार्थी संख्या 01 से 05 कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। प्रार्थी संख्या 01 से 05 उक्त रास्ता बाबत् सहमत है। मार्क ए से बी रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार श्रीमान् न्यायालय हाजा के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को वादग्रस्त रास्ता मार्क ए से बी भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त रास्ता को दिनांक 25.06.2020 को अप्रार्थी रामनिवास, रामकिशोर व उनके परिवारजनों ने मिट्टी की पाल बनाकर, कांटे डालकर व तारबंदी करके कदीमी रास्ता को बंद किया है एवं दिनांक 02.07.2020 को उक्त लोगों ने कदीमी रास्ता पर ट्रेक्टर से हल चलाकर कदीमी रास्ता के आलामात मिटाये व कांटे वगैरह डालकर रास्ता अवरूद्ध किया है जिसके रंगीन फोटोग्राफस संलग्न पेश है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है क्योंकि वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के खेतों में व खेतों में बनी रहवासीय ढाणियों में आने जाने हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता विद्यमान है। अगर अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया तो एवं अपने खेत में मिला दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। वादग्रस्त रास्ता मार्क ए से बी की कीमत प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 472/1, 475 व खसरा नं. 473/2 में आने जाना वाला वादग्रस्त रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्या मार्क ए से बी दर्शाये रास्ता को रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावे एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा के लिये खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा एवं दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 03 से 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] गया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि मौके पर [illegible] नं. [illegible]1 पर जाने हेतु वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। [illegible] तहसीलदार द्वारा [illegible] रास्ता बिन्दु संख्या ABCD दिया जाना उचित है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ABCD खसरा नं. 476/3 एवं 476/2 से होकर भी गुजरता है परन्तु उक्त खसरान के खातेदारों को प्रार्थनापत्र में पक्षकार नहीं [illegible]या गया है। अतः श्रीमान् द्वारा अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुना जाना अपेक्षित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:07:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थनापत्र अपने खातेदारी का खेत खसरा नं. 472/1, 475 व 473/2 में आने जाने के लिये चलायमान रास्ते को खुलवाये जाने एवं निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। जबकि इन्हीं खेतों में आवागमन हेतु एवं चलायमान रास्ते को खुलवाने के लिए श्रीमान् के समक्ष एक प्रार्थनापत्र पूर्व में प्रस्तुत किया था जिसको श्रीमान् ने क्षेत्राधिकारिता से बाधित मानते हुए अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2020/2207 दिनांक 07.07.2020 के जरिये तहसीलदार भोपालगढ़ को निस्तारण हेतु भेजा था। जिस पर तहसीलदार भोपालगढ़ ने प्रकरण संख्या 1/2020 हुकमाराम बनाम रामनिवास दर्ज कर दिनांक 13.07.2020 को निर्णित कर दिया। तात्पर्य यह है कि जब जिस अनुतोष का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है वह प्रकरण पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका है। अब इसी इस्तदुआ के बाबत् एवं तथ्यों पर दूसरा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इसलिये प्रार्थनापत्र विधिक रूप से चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण ने बताया है कि वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण अपने खेतों में आवागमन हेतु उपयोग उपभोग में ले रहे है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण ट्रेक्टर ट्रोली, बैलगाड़ी, मवेशी इत्यादि लाते ले जाते रहे है। तात्पर्य यह है कि उक्त प्रार्थनापत्र सुखाचार के आधार पर प्रस्तुत किया है जो धारा 251 की परिधी में आता है एवं धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण निस्तारित हो चुका है इसलिए हस्तगत प्रार्थनापत्र क्षेत्राधिकारिता से बाधित है क्योंकि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र सम्यक रूप से पढने पर प्रार्थनापत्र निषेधाज्ञा हेतु भी प्रस्तुत किया गया है जबकि धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 473/2 के नजदीक ही कटाणी रास्ता उपलब्ध है जो निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र एक बोगस प्रार्थनापत्र की परिभाषा में आता है। प्रार्थीगण ने जो संलग्न नजरिया नक्शा दर्शाया है वह भी वास्तविक नक्शे से हटकर बनावटी नक्शा प्रस्तुत किया है। वास्तविक राजस्व रेकर्ड में उपलब्ध नक्शे में खसरा नं. 470 के पड़ौस में 470/5 व 471 है तथा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में चाहे गये रास्ते व नजरिये नक्शे में भिन्नता है। प्रार्थीगण ने न्यायालय को नजरिये नक्शे के अनुसार भ्रमित किया है जबकि प्रार्थीगण के लिये निकटतम रास्ता खसरा नं. 473/2 के पास ही उपलब्ध है। अतः प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन है कि हस्तगत प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर निवेदन किया गया कि हुक्माराम पुत्र हेमाराम व सुरेन्द्र पुत्र अर्जुनराम ने सुखाचार का रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 13.07.2020 को तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा पारित किया गया है उक्त निर्णय की अपील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 द्वारा सक्षम न्यायालय में पेश कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने सुखाचार के रास्ते को हमेशा हमेशा के लिये बन्द कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 क में पेश कर रास्ता घोषित करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विधि अनुसार पेश किया हुआ है जो श्रीमान् न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में वास्तविक तथ्य अंकित किये है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय[illegible] तथा अन्य निजी सुखाचार के अधिकार के बारे में प्रावधान कर रखे है। धारा 251 (2) में [illegible] है कि इस धारा के अंतर्गत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार या सुखाचा[illegible] स्थापित करने में विवर्जित नहीं करेंगे जिसके लिये वह सक्षम सिविल न्याया[illegible] प्रस्तुत करके दावा कर सकता हो। धारा 251 क (1) (ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:07:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है। धारा 251 में पारित आदेश की अपील अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में पेश कर रखी है एवं मामला विचाराधीन चल रहा है। धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार रास्ता घोषित करने का एवं रास्ते की सुरक्षा बाबत् आदेश पारित करने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय हाजा को प्राप्त है। प्रार्थीगण के खेतों में व रहवासीय ढाणियों में आने जाने का एकमात्र नजदीकी रास्ता व सुलभतम रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नही है। श्रीमान् न्यायालय हाजा द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि खसरा नं. 473/2 के नजदीक में कोई कटाणी रास्ता नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा 251 क आरटी एक्ट का है। प्रार्थीगण ने श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्व वाद पेश नहीं किया है इसलिये वाद हेतुक की कतई आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण द्वारा दर्शाया नजरी नक्शा सही है। प्रार्थीगण द्वारा दर्शाया वादग्रस्त रास्ते के पड़ौस नजरी नक्शे में अंकित है इसी अनुसार मौके पर काश्तकार काबिज काश्त है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण ने बनावटी प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की है जिसकी कानून में कोई एहमियत नही है। मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं करके उक्त प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की है जो खारिज फरमावे।

राजस्थान सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ढंढोरा में दिनांक 22.11.2021 को पेश हुई। प्रार्थी संख्या 01 सुरेन्द्र एवं अप्रार्थी संख्या 02 रामकिशोर उपस्थित। शेष प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 रामकिशोर की ओर से प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में संलग्न मौका फर्द अनुसार नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खसरा नं. 470/5 में से A से B तक रास्ता दिया जाता है तो मैं मेंरी सहमति व्यक्त करता हूं।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थी संख्या 02 के प्रार्थनापत्र पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका फर्द अनुसार बिन्दु A से B तक 15 फीट चौड़ाई का रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते की भूमि में उपयोग आने वाली भूमि का नाप चौप कर नियमानुसार DLC दर की दुगुनी राशि को विधिक खातेदारों को भुगतान हेतु प्रार्थी से जरिये डीडी अथवा चैक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करें। तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक कटानी रास्ता का अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपिमय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ़ को [illegible] प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:07:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 6.12.21 को मज में आम में सुनाया गया।

6/12/21
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 11:07:42 IST
Reason: SelfAttested